भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1197
उत्तर देने की तारीख: 06.12.2021

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

†**1197. डॉ . डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस**.:
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 संघीय सिद्धांतों को बढ़ावा देती है और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुलित करती है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है;
(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार एनईपी को अपनी सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि के अनुसार उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बदल सकती है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों में सकल नामांकन अनुपात में सुधार करने के लिए एनईपी में क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है और इसके लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;
(घ) क्या किसी राज्य ने एनईपी में निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनईपी में राज्यों की भावी आकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जाएगा;
(ङ) शैक्षिक विकास के लिए संस्थान और संसाधन बनाने के लिए एनईपी में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भूमिकाओं का ब्यौरा क्या है और कार्यपालिका की कार्रवाई की जांच और संतुलन के लिए क्या तंत्र अपनाया गया है; और
(च) सरकार द्वारा शिक्षा को सुलभ और वहनीय बनाकर एनईपी को लागू करने में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी 2020) को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अंतिम रूप दिया गया है। नीति मूर्त रूप से कार्यान्वयन सबसे महत्वपूर्ण मामला है। कार्यान्वयन में व्यापकता महत्वपूर्ण होगी; चूंकि यह नीति परस्पर जुड़ी हुई और व्यापक है, जो सुनिश्चित करती है कि वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, इसलिए इसे केंद्र और राज्यों के बीच सावधानीपूर्वक आयोजना, संयुक्त निगरानी और सहयोगात्मक कार्यान्वयन की आवश्यकता है। तदनुसार, मंत्रालय ने एनईपी **2020** के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने हेतु अपनी सभी कार्यान्वयन

एजेंसियों, नियामक निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, अन्य हितधारक मंत्रालयों/विभागों आदि को पत्र लिखा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में सुधार के लिए विभिन्न उपायों का प्रस्ताव करती है जैसे सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुंच और अवसर प्रदान करना, प्रभावी और पर्याप्त अवसंरचना, सुरक्षित वाहन और छात्रावास, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, ऐसे बच्चों, जो स्कूल छोड़ रहे हैं को स्कूली शिक्षा की मुख्यधारा में वापस लाया गया है, आकांक्षी जिलों में अधिक उच्च गुणवत्ता वाले एचईआई की स्थापना करते हुए पहुंच बढ़ाना, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण, एसईडीजी/लड़कियों/दिव्यांगों के लिए छात्रवृत्ति / फैलोशिप आदि। इस नीति में वर्ष 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% और वर्ष 2035 तक उच्चतर शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(घ): प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। यह नीति इसके कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समयसीमा के साथ-साथ सिद्धांत और कार्यप्रणाली मुहैया कराती है। एनईपी कार्यान्वयन के लिए नवीन विचारों पर चर्चा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्यशालाओं/वीसी की एक श्रृंखला आयोजित की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने भी एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में पहल करना शुरू कर दिया है।

(ङ): एनईपी **2020** में भारत सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है जैसे सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्माण; सार्वजनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए शैक्षिक प्रचालन और सेवा प्रावधान; शिक्षा के सभी चरणों के लिए प्रभावी गुणवत्ता स्व-विनियमन या प्रत्यायन प्रणाली; राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना; सभी बुनियादी नियामक सूचनाओं का पारदर्शी सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण; बड़े, बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना, प्रत्येक जिले में या उसके निकट कम से कम एक; संकाय और संस्थागत स्वायत्तता; राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना; उच्च योग्य स्वतंत्र बोर्डों द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों का शासन; उच्चतर शिक्षा के लिए एकल नियामक द्वारा "हल्का लेकिन सख्त" विनियमन; लाभ वंचित और वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति; ऑनलाइन शिक्षा, और मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल); और अवसंरचना और अधिगम सामग्री, आदि। एनईपी 2020 में शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के लिए जांच और संतुलन के साथ कई तंत्र रखने का प्रस्ताव है। यह नीति स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों दोनों के द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि का समर्थन और परिकल्पना करती है। जल्द से जल्द **6%** जीडीपी तक पहुंचने के लिए केंद्र और राज्य साथ मिलकर शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने हेतु काम करेंगे।

(च): एनईपी 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण अधिगम और उत्कृष्टता प्राप्त करने का कोई अवसर न खोए। यह सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष जोर देने का प्रस्ताव करता है। समान और समावेशी शिक्षा का विवरण एनईपी 2020 के अध्याय **6** और **14** में दिया गया है।

****